न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
30 / 2024	03.07.2024	5/1/26

पीठासीन अधिकारी–दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1–रामेश्वर पुत्र बजरंगा उर्फ बजरंग लाल

2–छोटूलाल पुत्र बजरंगा उर्फ बजरंग लाल

3–सुरेश पुत्र बजरंगा उर्फ बजरंग लाल

जाति धाकड निवासीगण हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा **(प्रार्थी)**

बनाम

1–राम किशन आत्मज रघुनाथ

2–हरिशंकर आत्मज रघुनाथ

3–हनुमान आत्मज जानकीलाल जाति धाकड निवासीगण हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा

4–अंजली पुत्री जानकीलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा

5– अनुसूईया पुत्री जानकीलाल, पत्नी पुष्कर्राज जाति धाकड निवासी किशनपुरा तहसील कनवास जिला कोटा

6– आरती पुत्री जानकीलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा

7–शीला पुत्री जानकीलाल पत्नी अनूप जाति धाकड निवासी अन्ता जिला बारां

8–बनास बाई पत्नी जानकीलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा

9–जानकी बाई पुत्री रघुनाथ पत्नी रामकरण जाति धाकड निवासी रातडिया तहसील अन्जतथा जिला बारां

10– बिरधी बाई पुत्री रघुनाथ पत्नी बाबूलाल जाति धाकड निवासी आमली तहसील कनवास जिला कोटा

11– मन्जू बाई पुत्री रघुनाथ पत्नी शमभू दयाल जाति धाकड निवासी सावन भादो तहसील केनवास जिला कोटा

12– गायत्री बाई पुत्री रंगलाल जाति धाकड निवासी हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा

13– मांग्या उर्फ मांगीलाल आत्मज गोरया मृतक जरिये कायम मुकाम–

13/1–घांसी आत्मज मांग्या उर्फ मांगीलाल

13/2–गणपत आत्मज मांग्या उर्फ मांगीलाल

13/3–तेजपाल आत्मज मांग्या उर्फ मांगीलाल(मृतक) जरिये कायम मुकाम
13/3/1– दुर्गाशंकर पुत्र तेजपाल धाकड
13/3/2– कुसुम मालव पत्री तेजपाल धाकड
13/3/3– ग्यारसी बाई पत्नि तेजपाल धाकड
निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला कोटा

14– दी स्टेट ओफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिपक्षीगण)

प्रार्थी की ओर से – श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादीगण 1,2,3,6,8,10 की ओर से– श्री रामबाबू दाधीच
प्रतिवादीगण 4,7,9,11,12 की ओर से– श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट
बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. यह कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त शीर्षक का दावा माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है।

2 यह कि ग्राम चौमा बीबू तहसील दीगोद में पुराने खसरा नम्बर 222 की 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के पिता बजरंगा व प्रतिपक्षी नं0 13 मांग्या पिस० गोरया जी घाकड निवासी हरिपुरा के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 सलंग्न है।

3. यह कि इसके पश्चात् उक्त भूमि में भूप्रबन्ध कार्य हो गया तथा उक्त भूमि के निम्न खसरा नम्बरान कायम किये गये–मिलान क्षेत्रफल सलंग्न है।

खसरा नम्बर 377 की 0–42 हेक्टर

खसरा नम्बर 378 की 0–44 हेक्टर

खस्रा नम्बर 381 की 0–48 हेक्टर

खसरा नम्बर 382 की 0–48 हेक्टर

कुल 1–82 हेक्टर

4– यह कि इस प्रकार पुराने रकबा के अनुसार 2–02 हेक्टर होते है किन्तु सेटलमेन्ट के दोरान 1–82 हेक्टर कायम कर 0–20 हेक्टर भूमि कम दर्ज की है। इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर 220 की 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि थी जिसके 0–73 हेक्टर होते है किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान उसके नये खसरा नम्बर 375 की 1–00 हेक्टर दर्ज कर 0–27 हेक्टर भूमि अधिकदर्ज की गयी है। इस कारण उक्त खसरा नम्बर 375 के रकबा में से 0–20 हेक्टर भूमि कम कर चारों खसरा नम्बर की भूमि का रकबा में शामिल किया जाकर उसका रकबा 1–82 हेक्टर के स्थान पर 2–02 हेक्टर कर कमी पर्ति किया जाना आवश्यक है।

5–यह कि प्रतिपक्षी नं0 14 के सेटलमेन्ट के दौरान उनके कर्मचारियों अथवा अधिकारियों ने पुराने खसरा नम्बर 222 की भूमि के नये खसरा नम्बरान की भूमि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 13 के खाते दर्ज नहीं की बल्कि उसमें से खस्रा नम्बर 381 की 0–48 हेक्टर, खसरा नम्बर 382 की 0–48 हेक्टर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 13 के खाते दर्ज की गयी व शेष भूमि खसरा नम्बर 377 की 0–42 हेक्टर, खसरा नम्बर 378 की 0–44 हेक्टर भूमि को प्रार्थीगण के खाते दर्ज न कर सहवन से प्रतिपक्षी नं0 1 ता 12 के खाते दर्ज करदी जो गलत है क्योंकि उक्त भूमि से प्रतिपक्षी नं0 1 ता 12 का कोई संबंध नहीं है। इस् कारण प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 13 के खाते में मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि दर्ज किया जाना चाहिये था।

6– यह कि प्रार्थीगण पुराने रकबा के अनुसार मोके पर 2–02 हेक्टर भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। इस कारण प्रतिपक्षी नं0 1 ता 12 के खाते की ख0न0 375 की 1–00 हेक्टर भूमि में से 0–20 हेक्टर कम की जाकर व खसरा नम्बर 377 की 0–42 हेक्टर, खसरा नम्बर 378 की 0–44 हेक्टर भूमि प्रतिपक्षी नं0 1 ता 12 के खाते से हटा कर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 13 के शामलाती खाते में दर्ज किया जाना तथा चारों खसरानम्बरान का रकबा 1–82 हेक्टर के स्थान पर 2–02 हेक्टर कायम करते हये खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है।

7– यह कि राजस्व रिकार्ड में ख0न0 375, 377, 378 की भूमि सहवन से प्रतिपक्षी नं0 1 ता 12 के नाम दर्ज होने के कारण प्रतिपक्षी न० 1 ता 12 के मन में बेइमानी आ गई है और प्रतिपक्षी नं0 1 ता 12 उनके खाते दर्ज भूमियां को रहन, ष्बेचान, दान, व अन्तरण करवाने पर आमादा है जिसका कि उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

8– यह कि प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी नं० 1 ता 12 से उपरोक्त ख0न0 375 में से 0–20 हेक्टर, ख0न0 377, 378 की भूमि को प्रार्थीगण के खाते दर्ज कराने भूमि को रहन, बेचान, दान, अन्तरण नहीं करने व उक्त भूमि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं० 13 के शामलाती खाते में

दर्ज कराने को दिनांक 30–6–2023 को कहा तो प्रतिपक्षीगण ने इन्कार दिया बल्कि प्रतिपक्षीगण ने अपने खाते दर्ज भूमि को बेचान, दान व अन्तरण करने की व प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दी।

9– यह कि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 13 को उक्त खसरा नम्बर 377 की 0–42 हेक्टर, खसरा नम्बर 378 की 0–44 हेक्टर, खसरा नम्बर 375 की 1–00 हेक्टर में से 0–20 हेक्टर भूमि का खातेदार घोषित नहीं किया गया व प्रतिपक्षी नं० 1 ता 12 के खाते से हटा कर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 13 के खाते दर्ज नहीं की गयी और प्रतिपक्षीगण को गलत रूप से उक्तभूमियों को रहन, बेचान, दान, वसीयत व अन्तरण करने से नहीं रोका गया तो इससे प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी प्रार्थीगण अपने अधिकारों व साम्पतिक अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगा जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी व दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा।

10. यह कि प्रार्थीगण का केस प्राइमा फेसी केस है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की सम्भावना है।

अतः प्रार्थना है कि ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षीगण उपरोक्त प्रतिवादीगण उपरोक्त ग्राम चोमाबीबू तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 377 की 0–42 हेक्टर, खसरा नम्बर 378 की 0–44 हेक्टर, खसरा नम्बर 375 की 1–00 हेक्टर भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को रहन, बेचान, दान, वसीयत व खुर्द बुर्द व अन्तरण नहीं करे तथा प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 377, 378, 381, 382 की भूमि से बैदखल नहीं करे व काश्त करने से नही रोके। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर ना ही अपने एजेन्ट से ही करवाये तथा मोका व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये ।

प्रार्थीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में निम्न दस्तावेज पेश किये है –

1. नकल जमाबन्दी ग्राम चौमा बीबू सम्वत 2076–2079, खाता सं0 नया 109
2. नकल जमाबन्दी ग्राम चौमा बीबू सम्वत 2076–2079, खाता सं0 नया 111
3. नकल जमाबन्दी ग्राम चौमा बीबू सम्वत 2076–2038, खाता सं0 नया
4. नकल जमाबन्दी ग्राम चौमा बीबू सम्वत 2043–2062, खाता सं0 नया
5. नकल मिलान क्षैत्रफल 2043–2062 ग्राम चौमा बीबू
6. नकल मिलान क्षैत्रफल 2043–2062 ग्राम चौमा बीबू

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिपक्षी 1 ता 3 व 6, 8, 10 की ओर श्री रामबाबू दाधीच एडवोकेट द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी क्रम 4,5,9,11,12,13/1,13/2 की तलबी हो जाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी क्रम 13/3 की मृत्यु हो जाने से कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा नो ऑब्जेक्शन किये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित टाईटल पेश किया

गया। प्रतिवादी क्रम 4,9,11,12 की ओर से श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा व प्रार्थना पत्र बाबत सेट असाइड किये जाने एक तरफा कार्यवाही अन्तर्गत आर्डर 9 रूल 7 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर स्वीकार किया गया। प्रतिवादी क्रम 13/3/1 ता 13/3/3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी क्रम 7 की ओर से श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिपक्षीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिपक्षीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विशेष कथन किया किः–

1–यह कि वादीगण ने गलत व असत्य कथनों के आधार पर सही तथ्यों को छिपा कर असदभाविक रूप से वाद पेश किया हे जो खारिज होने योग्य है।

2–यह कि वादीगण को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ हे इस कारण वाद कारण के अभाव में दावा वादीगण खारिज होने योग्य है।

3–यह कि वादीगण ने वाद पेश करने से पूर्व राजस्थान सरकार को दो माह का नोटिस नहीं दिया है इस कारण दावा बिना नोटिस के चलने योग्य नहीं है।

4–यह कि वास्तविकता यह है कि चौमा बीबू तहसील दीगोद की पुराने ख0न0 593/189 की 11 बीघा 16 बिस्वा भूमि मांग्या, बजरंगा पि०सुक्खा व तुलसा 1/2 हिस्सा व /रंगलाल, रघुनाथ पि० रोडू 1/2 हिस्सा से सम्वत् 2003–2006 में दर्ज चली आ रही थी।

5–यह कि प्रथम सेटलमेन्ट में उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 222 की 12 बीघा 13 बिस्वा भूमि कायम किया जाकर मांग्या, बजरंगा पि०सुक्खा व तुलसा 1/2 हिस्सा व रंगलाल, रघुनाथ पि० रोडू 1/2 हिस्सा से दर्ज न कर सहवन से बजरंगा. मांग्या आ० रोडू के खाते दर्ज कर दिया क्योकि तुलसा लाओलाद फोत हो गया तथा रंगलाल, रघुनाथ पि० रोडू का नाम दर्ज होने से रह गया। जब कि 1/2 हिस्से की भूमि पर रंगलाल, रघुनाथ पि० रोडू का कब्जा चला आ रहा था।

6–यह कि इसके पश्चात् उक्त भूमि में द्वितीय सेटलमेन्ट हो गया ओर बाद सेटलमेन्ट उक्त त्रुटि को सही करते हुये नये खसरा नम्बर 377 की 0–42 हेक्टर व खसरा नम्बर 378 की 0–44 हेक्टर, ख0न0 381 की 0–48 हेक्टर ख0न0 382 की 0–48 हेक्टर कुल 1–82 हेक्टर कायम किया गया।

7–यह कि इसके पश्चात् खसरा नम्बर 377 की 0–42 हेक्टर व खसरा नम्बर 378 की 0–44 हेक्टर, कुल दो कित्ता की 0–86 हेक्टर भूमि विधि अनुसार रंगलाल व रघुनाथ के वारिसान प्रतिवादी नं0 1 ता 12 के नाम खाते सही रूप से दर्ज की गयी है। तथा ख0न0 381 की 0–48 हेक्टर ख0न0 382 की 0–48 हेक्टर कुल 0–96 हेक्टर वादीगण व प्रतिवादी न0 13 के नाम सही रूप से दर्ज की गयी है।

8– यह कि वर्तमान में प्रतिवादी नं0 1 ता 12 के खाते में खसरा नम्बेर 375 की 1–00 हेक्टर, खसरा नम्बर 377 की 0–42 हेक्टर व खसरा नम्बर 378 की 0–44 हेक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है। उक्त भूमि को प्रतिवादी नं0 1 ता 12 के खाते से हटाने तथा उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी न० 13 अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी नहीं है।

9–यह कि प्रार्थीगण का केस प्राइमाफेसी केस नहीं है सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है और न प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होने की संभावना है। इस कारण प्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना प्रतिपक्षीगण न0 1 ता 12 के विरूद्ध सब्बय खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगणों की बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी पर ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है।

इस सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 के प्रावधानानुसार किसी भी न्यायिक प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के पूर्व निम्न बिन्दुओं का परीक्षण किया जाना आवश्यक है –

1. क्या यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है।
2. क्या सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।
3. क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है।

प्रथम दृष्ट्या मामला – किसी न्यायिक राजस्व प्रकरण को देखते ही अर्थात (पहली नजर में) यदि ऐसा प्रतीत हो कि प्रार्थी भी विवादित आराजी में संभावित हकदार हो सकता है। प्रस्तुत प्रकरण को देखने पर हम पाते है कि वर्तमान में विवादित आराजी में प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण दोनों के नाम दर्ज है। अतः प्रकरण को प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं कहा जा सकता है।

सुविधा का सन्तुलन – किसी विवादित आराजी पर कब्जा होने के आधार पर सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष में कहा जा सकता है। वैसे भी काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के

अनुसार कब्जे के अभाव में, जब तक विवादित आराजी स्वयं की संयुक्त सहखातेदारी में दर्ज नहीं हो तो उस आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित आराजी पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। इस कारण सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण दोनों के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षति होना – किसी विवादित आराजी पर किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं किये जाने अन्य पक्ष द्वारा उस आराजी को खुर्द बुर्द कर देने की संभावना होने तथा इस प्रकार खुर्द बुर्द किये जाने से होने वाली क्षति की पूर्ति होना संभव नहीं हो तो इसे प्रार्थी की अपूरणीय क्षति कहा जायेगा। प्रकरण में विवादिज आराजी में प्रार्थीगण का नाम दर्ज है प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण के दर्ज हिस्से को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं कर सकता। अतः प्रकरण में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नही है।

उपरोक्त समस्त विवेचन से सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानानुसार यह प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं होने, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण दानो के पक्ष में होने तथा प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 5/1/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद